



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 226]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 13, 2010/भाद्र 22, 1932

No. 226]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 13, 2010/BHADRA 22, 1932

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 सितम्बर, 2010

सं. एल/61/10/रा.वि.से.प्रा.—केन्द्रीय प्राधिकरण, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 39) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उक्त अधिनियम की धारा 12 के अधीन हकदार व्यक्तियों को निःशुल्क और सक्षम विधिक सेवा प्रदान करने के लिए अधिनियम की धारा 4 के उपबंधों के अनुसरण में, निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ—(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (निःशुल्क और सक्षम विधिक सेवा) विनियम, 2010 है।

(2) ये भारत में उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समितियों, जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों और तालुक विधिक सेवा समितियों को लागू होंगे।

(3) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं—(1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “अधिनियम” से विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 39) अभिप्रेत है ;

(ख) “प्ररूप” से इन विनियमों से उपाबद्ध प्ररूप अभिप्रेत है ;

(ग) “प्रबंध कार्यालय” से विधिक सेवा संस्था में वह कक्ष अभिप्रेत है, जहां विधिक सेवाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं ;

- (घ) “विधि व्यवसायी” का वही अर्थ होगा, जो अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (1961 का 25) की धारा 2 के खंड (झ) में है ;
- (ङ) “विधिक सेवा संस्था” से, यथास्थिति, उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या तालुक विधिक सेवा समिति अभिप्रेत है ;
- (च) “पैरा विधिक” स्वयंसेवक से विधिक सेवा संस्था द्वारा इस प्रकार प्रशिक्षित “पैरा विधिक” स्वयंसेवक अभिप्रेत है।
- (छ) “सचिव” से विधिक सेवा संस्था का सचिव अभिप्रेत है।
- (ज) “धारा” से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है।
- (झ) “राज्य विनियम” से अधिनियम के अधीन राज्य प्राधिकरण द्वारा बनाया गया विनियम अभिप्रेत है।

2. सभी अन्य शब्दों और पदों के, जो इन विनियम में प्रयुक्त हैं, और परिभाषित नहीं हैं वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में हैं।

3. विधिक सेवाओं के लिए आवेदन-(1) विधिक सेवाओं के लिए कोई आवेदन स्थानीय भाषा या अंग्रेजी में अधिमानतः प्ररूप-1 में प्रस्तुत किया जा सकेगा।

- (2) कोई आवेदक अपनी शिकायत, जिसके लिए वह विधिक सेवाओं को चाहता है, संक्षिप्त रूप में एक पृथक प्रपत्र में आवेदन के साथ दे सकेगा।
- (3) किसी आवेदन, यद्यपि प्ररूप-1 में नहीं है, को भी ग्रहण किया जा सकेगा, यदि आवेदक ने विधिक सेवाएं चाहने के लिए स्वयं को समर्थ बनाने के लिए तथ्यों को युक्तियुक्त ढंग से स्पष्ट कर दिया है।
- (4) यदि आवेदक निरक्षर है या वह स्वयं आवेदन देने में असमर्थ है, विधिक सेवा संस्था आवेदक के आवेदन प्ररूप को भरने में और शिकायतों का एक टिप्पण तैयार करने में उसकी सहायता करने की व्यवस्था कर सकेगा।
- (5) विधिक सेवा के लिए मौखिक अनुरोध को भी उसी रीति में ग्रहण किया जा सकेगा जिस रीति में कोई आवेदन उपविनियम (1) और उपविनियम (2) के अधीन ग्रहण किया जाता है।
- (6) पैरा विधिक स्वयं सेवकों, विधिक सहायता क्लबों, विधिक सहायता क्लीनिक्स और स्वैच्छिक समाज सेवा संस्थाओं द्वारा परामर्श प्राप्त करने वाले आवेदक को भी निःशुल्क विधिक सेवाओं के लिए भी विचार में लिया जाएगा।
- (7) आवेदक की पहचान का सत्यापन के पश्चात् और यह सुनिश्चित होने पर कि आवेदक/आवेदिका द्वारा की गई शिकायत उसकी स्वयं की है, निःशुल्क विधिक सेवाओं के लिए ई-मेल और ऑन-लाईन सुविधा से संपर्क द्वारा प्राप्त अनुरोध को भी विचार में लिया जा सकेगा।

4. विधिक सेवा संस्था में प्रबंध कार्यालय का होना— (1) सभी विधिक सेवा संस्थाओं में कार्यालय समय के दौरान उपलब्ध पैनल वकील और एक या अधिक पैरा विधिक स्वयंसेवक के साथ प्रबंध कार्यालय होगा।

(2) न्यायालय आधारित विधिक सेवाओं के मामले में, आवेदन पर विचार करने के पश्चात् ऐसा वकील उसे विनियम 7 के अधीन गठित समिति को अग्रेषित करेगा और अन्य प्रकार की विधिक सेवाओं के लिए पैनल का वकील प्रबंध कार्यालय में ऐसी विधिक सेवाएं प्रदान कर सकेगा।

(3) प्रबंध कार्यालय में पैनल का वकील सूचनाओं का प्रारूपण, वकीलों की सूचनाओं का उत्तर भेजना और आवेदनों, अर्जियों आदि का प्रारूपण जैसी सेवाएं देगा।

(4) प्रबंध कार्यालय में पैनल का वकील विधिक सेवा संस्थाओं के कर्मचारिवृंद से सचिवीय सहायता प्राप्त कर सकेगा।

(5) अतिआवश्यक विषयों के मामले में, प्रबंध कार्यालय में पैनल का वकील विधिक सेवा संस्थाओं के सदस्य-सचिव या सचिव के परामर्श से समुचित प्रकृति की विधिक सहायता प्रदान कर सकेगा :

परंतु विनियम 7 के अधीन गठित की गई समिति प्रबंध कार्यालय में पैनल के वकील द्वारा की गई कार्रवाई पर विचार और अनुमोदन कर सकेगी।

5. निःशुल्क विधिक सेवाओं के हकदार होने का सबूत— (1) आवेदक का एक शपथपत्र कि वह धारा 12 के अधीन निःशुल्क विधिक सेवाओं के हकदार व्यक्तियों के प्रवर्गों के अधीन आता है प्रस्तुत करेगा जो कि साधारणतया पर्याप्त होगा।

(2) शपथ-पत्र को, यथास्थिति, न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, नोटरी पब्लिक, अधिवक्ता, संसद् सदस्य, विधान सभा सदस्य, स्थानीय निकायों के चुने हुए प्रतिनिधि, राजपत्रित अधिकारी, केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय निकायों के किसी भी विद्यालय या महाविद्यालय के अध्यापक के समक्ष हस्ताक्षर किया जा सकेगा।

(3) शपथ-पत्र को सादा कागज पर तैयार किया जा सकेगा और उस पर अनुप्रमाणित करने वाले व्यक्ति की मुद्रा होगी।

6. आवेदक द्वारा दिए जाने वाले मिथ्या और असत्य ब्यौरों का परिणाम—आवेदक द्वारा, यदि गलत या मिथ्या सूचना या कपटपूर्ण रीति द्वारा निःशुल्क विधिक सेवाएं प्राप्त की गई हैं तो उसे सूचित किया जाएगा कि उसकी विधिक सेवाओं को तत्काल रोक दिया जाएगा और विधिक सेवा संस्था द्वारा उस पर उपगत व्यय उससे वसूली योग्य होगा।

7. निःशुल्क विधिक सेवाओं के लिए आवेदन की संवीक्षा और मूल्यांकन -- (1) तालुक, जिला, राज्य और उससे ऊपर के स्तर पर विधिक सेवाओं के लिए आवेदन की संवीक्षा और मूल्यांकन करने के लिए विधिक सेवा संस्था द्वारा गठित की जाने वाली एक समिति होगी।

(2) समिति विधिक सेवा संस्था के कार्यकारी अध्यक्ष या अध्यक्ष द्वारा गठित की जाएगी और जिसमें निम्नलिखित होंगे :--

